कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला– इन्दौर (म0प्र0)

क्रमांक 1845 /रीडर/20, इन्दौर, दिनांक 17/06/2020

–:: आदेश ::–

कोरोना महामारी (Covid-19) के संक्रमण के फैलाव की रोकथाम को दृष्टिगत रखते हुये केन्द्रीय एवं जिला जेल इंदौर में परिरूद्ध ऐसे बंदी जिनमें कोरोना वायरस के संक्रमण संबंधी लक्षण दिखाई दे रहे हैं अथवा कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं, को अन्य परिरूद्ध बंदियों से अलग किया जाने हेतु इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 774/रीडर /20, इन्दौर दिनांक 17/04/2020 द्वारा "शासकीय पिछड़ा वर्ग पोस्ट मेट्रिक कन्या छात्रावास, ग्राम–असरावद, खुर्द, इन्दौर (म.प्र.)" को 60 दिवस तक अस्थायी कारागार घोषित किया गया था ।

इन्दौर शहर में कोरोना वायरस के संक्रमण के फैलाव की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए, मैं मनीष सिंह, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला इन्दौर (म.प्र.), कानून व्यवस्था की दृष्टि से कारागार अधिनियम 1894 की धारा 3 सहपठित द.प्र.सं. 1973 की धारा 417 के अंतर्गत, राज्य शासन से स्वीकृति की प्रत्याशा में **"शासकीय पिछड़ा वर्ग पोस्ट मेट्रिक कन्या छात्रावास, ग्राम–असरावद, खुर्द, इन्दौर (म.प्र.)" को आगामी 60 दिवस तक पुनः अस्थायी कारागार घोषित करता हूँ।**

जेल अधीक्षक, केन्द्रीय जेल इंदौर को निर्देशित किया जाता है कि अस्थायी कारागार में परिरूद्ध बंदियों के उपचार हेतु मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, इंदौर से समन्वय स्थापित करें।

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी
जिला इन्दौर, (म.प्र.)

पृ. क्रमांक 1846 /रीडर /20, इन्दौर, दिनांक 17/06/2020

प्रतिलिपिः–

1. अपर मुख्य सचिव, म0प्र0 शासन, गृह (सी–अनुभाग) मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल की ओर आदेश की प्रति सूचनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रेषित।
2. प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन, जेल विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल की ओर आदेश की प्रति सूचनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रेषित।
3. महानिदेशक, जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं, जेल मुख्यालय, मध्यप्रदेश, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर की सूचनार्थ प्रेषित।
5. आयुक्त, नगर पालिक निगम, इंदौर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
6. अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, पुलिस रेंज, इंदौर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
7. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जिला इंदौर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
8. जेल अधीक्षक, केन्द्रीय जेल इंदौर की ओर प्रेषित कर लेख है कि अस्थायी कारागार में परिरूद्ध बंदियों की सुरक्षा व्यवस्था बनाये रखना सुनिश्चित करें।
9. जेल अधीक्षक, जिला जेल इंदौर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
10. अधीक्षक/प्राचार्य, शासकीय पिछड़ा वर्ग पोस्ट मेट्रिक कन्या छात्रावास, ग्राम–असरावद, खुर्द, इन्दौर (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी
जिला इन्दौर, (म.प्र.)

District Magistrate
District Indore (M. P.)

Scanned with CamScanner